



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072026-274086  
CG-DL-E-04072026-274086

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3401]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948

No. 3401]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

**का.आ. 3536(अ).**— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में बैंगलोर-चेन्नई एक्सप्रेसवे (NE-7) के कि.मी. 96 से कि.मी.127 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जॉयंट कलेक्टर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, चित्तूर जिला, चित्तूर आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने

के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में बेंगलोर-चेन्नई एक्सप्रेसवे (NE-7) के कि.मी. 96 से कि.मी.127 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: चित्तूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बांगरूपलेम					
गांव का नाम: मोगिली					
1	1551/Part	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर (कलुवा)	279.24 (वर्ग मीटर)	0.027924
2	1627	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	80.94 (वर्ग मीटर)	0.008094
3	1837	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	198.3 (वर्ग मीटर)	0.01983
4	1845	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	129.5 (वर्ग मीटर)	0.01295
5	1853/Part	निजी	एग्रीकल्चर (डीकेटी)	708.23 (वर्ग मीटर)	0.070823
6	2111	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	113.32 (वर्ग मीटर)	0.011332
7	2113	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	275.2 (वर्ग मीटर)	0.02752
8	2114	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	60.71 (वर्ग मीटर)	0.006071
9	2116	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	182.12 (वर्ग मीटर)	0.018212
10	2118	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	137.6 (वर्ग मीटर)	0.01376
11	2120	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	72.85 (वर्ग मीटर)	0.007285
12	2122	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	121.41 (वर्ग मीटर)	0.012141
13	2124	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	226.63 (वर्ग मीटर)	0.022663
14	2126	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	174.02 (वर्ग मीटर)	0.017402
15	2128	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	331.85 (वर्ग मीटर)	0.033185
16	2130	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	647.52 (वर्ग मीटर)	0.064752
17	567/Part	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर (चेरुवु)	263.06 (वर्ग मीटर)	0.026306

18	643/Part	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर (कलुवा)	182.12 (वर्ग मीटर)	0.018212
19	646/Part	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर (चेरुवु)	392.56 (वर्ग मीटर)	0.039256
20	647/Part	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर (चेरुवु)	352.09 (वर्ग मीटर)	0.035209
21	653/Part	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर (चेरुवु)	469.45 (वर्ग मीटर)	0.046945
<b>Total</b>					<b>0.539872</b>

[फा. सं. NHAI/11013/LA/3(a)/Notif./PIU-Krishnagiri/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2026

**S.O. 3536(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Bangalore-Chennai Expressway(NE-7) in the stretch of land from Km. 96 to Km. 127 in the district of Chittoor in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, JOINT COLLECTOR, Chittoor District, Chittoor in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

**SCHEDULE**

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Bangalore-Chennai Expressway (NE-7) in the stretch of land from Km. 96 to Km. 127 in the district of Chittoor in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			District: Chittoor		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Bangarupalem</b>					
<b>Village: Mogili</b>					
1	1551/Part	Government	Non Agriculture (Kaluva)	279.24 (Square Meter)	0.027924
2	1627	Private	Agriculture (Dry)	80.94 (Square Meter)	0.008094
3	1837	Private	Agriculture (Dry)	198.3 (Square Meter)	0.01983

4	1845	Private	Agriculture (Dry)	129.5 (Square Meter)	0.01295
5	1853/Part	Private	Agriculture (DKT)	708.23 (Square Meter)	0.070823
6	2111	Private	Agriculture (Dry)	113.32 (Square Meter)	0.011332
7	2113	Private	Agriculture (Dry)	275.2 (Square Meter)	0.02752
8	2114	Private	Agriculture (Dry)	60.71 (Square Meter)	0.006071
9	2116	Private	Agriculture (Dry)	182.12 (Square Meter)	0.018212
10	2118	Private	Agriculture (Dry)	137.6 (Square Meter)	0.01376
11	2120	Private	Agriculture (Dry)	72.85 (Square Meter)	0.007285
12	2122	Private	Agriculture (Dry)	121.41 (Square Meter)	0.012141
13	2124	Private	Agriculture (Dry)	226.63 (Square Meter)	0.022663
14	2126	Private	Agriculture (Dry)	174.02 (Square Meter)	0.017402
15	2128	Private	Agriculture (Dry)	331.85 (Square Meter)	0.033185
16	2130	Private	Agriculture (Dry)	647.52 (Square Meter)	0.064752
17	567/Part	Government	Non Agriculture (Cheruvu)	263.06 (Square Meter)	0.026306
18	643/Part	Government	Non Agriculture (Kaluva)	182.12 (Square Meter)	0.018212
19	646/Part	Government	Non Agriculture (Cheruvu)	392.56 (Square Meter)	0.039256
20	647/Part	Government	Non Agriculture (Cheruvu)	352.09 (Square Meter)	0.035209
21	653/Part	Government	Non Agriculture (Cheruvu)	469.45 (Square Meter)	0.046945
<b>Total</b>					<b>0.539872</b>

[F. No. NHAI/11013/LA/3(a)/Notif./PIU-Krishnagiri/3A]  
SHAIKH AMINKHAN, Director